

भारत सरकार  
नागर विमानन मंत्रालय  
लोक सभा  
लिखित प्रश्न संख्या: 4549  
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

### महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में हवाई संपर्क

4549. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र में हिंगोली जैसे पिछडे और कृषि-बहुल जिले बुनियादी हवाई संपर्क से वंचित हैं जिससे आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, पर्यटन और व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इस क्षेत्र के नागरिकों, किसानों, व्यापारियों और छात्रों को अत्यधिक असुविधा हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिंगोली जिले के नागरिकों को औरंगाबाद, नांदेड़ अथवा हैदराबाद जैसे निकटतम विमानपत्तन तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है जिसके परिणामस्वरूप समय, धन और स्वास्थ्य की हानि होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का हिंगोली जिले में इस क्षेत्र के नागरिकों को यह मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए कोई प्रारंभिक सर्वेक्षण, व्यवहार्यता रिपोर्ट अथवा सिविल विमानपत्तन की स्थापना करने की योजना बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार हिंगोली जिले को नागर विमानन मानचित्र पर लाने के लिए कब तक कदम उठाएंगी?

### उत्तर

#### नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): वर्तमान में महाराष्ट्र के हिंगोली में कोई हवाईअड्डा नहीं है। हालाँकि, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के स्वामित्व वाला नांदेड़ हवाईअड्डा हिंगोली से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर प्रचालित है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी डेवलपर हवाईअड्डा विकसित करना चाहता है, तो उन्हें उपयुक्त स्थल की पहचान करनी होगी और हवाईअड्डे के निर्माण के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करवाना होगा और 'साइट-क्लीयरेंस' के बाद 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर जीएफए नीति के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है।

महाराष्ट्र के हिंगोली में हवाईअड्डे की स्थापना के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करने हेतु राज्य सरकार या किसी अन्य परियोजना प्रस्तावक से भा.वि.प्रा (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण) को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*